

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.07(80)राज/वाद/18

जयपुर, दिनांक 09.05.18

:: आदेश ::

इस विभाग एवं अधीनस्थ (नीचे अंकित सूची के कॉलम संख्या-2 में वर्णित) कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-4 में वर्णितानुसार नियमित वेतन श्रृंखला के शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति/पदस्थापन होने अथवा एक वर्ष, जो भी पहले हो तक, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-11/94 जयपुर दिनांक 08.02.18 में निर्धारित दरों/शर्तों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी लगाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	नियमित वेतन श्रृंखला के रिक्त पद	नियमित वेतन श्रृंखला के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1	निदेशालय,विधि(राजकीय वादकरण) शासन सचिवालय, जयपुर	शी०लिपिक	03
2	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर	शी०लिपिक	02
3	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर	शी०लिपिक	03
4	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता,जयपुर	शी०लिपिक	05
5	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता,जोधपुर	शी०लिपिक	07
6	अपर लोक अभियोजक,सं०2, किशनगढ़बास, अलवर	शी०लिपिक	01
7	लोक अभियोजक,बीकानेर	शी०लिपिक	01
8	अपर लोक अभियोजक,संख्या-2,भीलवाड़ा	शी०लिपिक	01
9	विशिष्ट लोक अभियोजक(म.उ.),भीलवाड़ा	शी०लिपिक	01
10	विशिष्ट लोक अभियोजक(अजा/अजजा)भीलवाड़ा	शी०लिपिक	01
11	विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस.) भीलवाड़ा	शी०लिपिक	01
12	अपर लोक अभियोजक, सुजानगढ़,चूरू	शी०लिपिक	01
13	अपर लोक अभियोजक,लालसोट,जिला दौसा	शी०लिपिक	01
14	अपर लोक अभियोजक,बाड़ी,जिला धौलपुर	शी०लिपिक	01
15	विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस.)हनुमानगढ़	शी०लिपिक	01
16	विशिष्ट लोक अभियोजक(पोस्को)जयपुर	शी०लिपिक	01
17	अपर लोक अभियोजक संख्या-8,जयपुर महानगर	शी०लिपिक	01
18	अपर लोक अभियोजक संख्या-19,जयपुर महानगर, मुख्यालय सांगानेर,जयपुर	शी०लिपिक	01
19	अपर लोक अभियोजक संख्या-20,जयपुर महानगर, मुख्यालय चौमू, जयपुर	शी०लिपिक	01
20	विशिष्ट लोक अभियोजक(म.उ.) संख्या-1,जयपुर महानगर,	शी०लिपिक	01
21	विशिष्ट लोक अभियोजक(प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी)जयपुर,	शी०लिपिक	01
22	अपर लोक अभियोजक,शाहपुरा जयपुर	शी०लिपिक	01
23	अपर लोक अभियोजक,खेतड़ी, झुन्झुनु	शी०लिपिक	01
24	विशिष्ट लोक अभियोजक(अजा/अजजा) झालावाड़	शी०लिपिक	01
25	विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस.)कोटा	शी०लिपिक	01
26	लोक अभियोजक,प्रतापगढ़	शी०लिपिक	01
27	लोक अभियोजक,टोंक	शी०लिपिक	01
28	विशिष्ट लोक अभियोजक(अजा/अजजा)टोंक	शी०लिपिक	01
29	विशिष्ट लोक अभियोजक(एन.डी.पी.एस.)श्रीगंगानगर	शी०लिपिक	01
	कुल रिक्त पदों की संख्या		44

जिन कार्यालयों/स्थानों में समुचित प्रयास करने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त कार्मिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो, उन कार्यालयों में कार्यात्मक आवश्यकता (Functional Requirement) के अनुसार वित्त(बजट)विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(1)वित्त-1(1)/बजट/2004 दिनांक 28.07.2008, 17.06.2011 एवं 01.05.2014 तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों के निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए एजेन्सी के माध्यम से मशीन विद मैन की संविदा सेवायें लिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। उक्त संविदा सेवा लिये जाने में यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत (Individual) व्यक्तियों की सेवाएं अनुबंधित नहीं की जावेगी।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी.संख्या-331800343 दिनांक 07.05.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

नोट:- 1. क्रम संख्या- 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 व 29 में वर्णित कार्यालयों में शी०लिपिक के पद के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों की पालना में संविदा सेवायें ली जा रही हैं। अतः उक्त कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालयों में शी०लिपिक के पद के विरुद्ध संविदा सेवा उपलब्ध करवायी जानी है।

2. क्रम संख्या-1 से 5 में वर्णित कार्यालयों में उक्त संविदा सेवायें सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा एवं क्रम संख्या-6 से 29 में वर्णित क्रम संख्या- 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 व 29 में वर्णित कार्यालयों का छोड़कर शेष कार्यालयों में संविदा सेवायें सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा उपलब्ध करवायी जावेगी।

3. कार्यालय राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर में इस विभाग के आदेश क्रमांक 12(4)राज/वाद/94पार्ट दिनांक 23.02.18 के द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर 06 कम्प्युटर विद मैन लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः उक्त कार्यालय में कार्यात्मक आवश्यकता होने के आधार पर 01 कम्प्युटर विद मैन की संविदा सेवा और ली जा सकती है।

आज्ञा से,

६०

(संजय कुमार)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय महाधिवक्ता,राज0 जयपुर।
2. अति0महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित जिला कलक्टर.....।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
6. सम्बन्धित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
8. संबंधित कोषाधिकारी -----।
9. प्रोग्रामर,विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. लेखा शाखा विधि, वादकरण।
11. रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन सचिव,विधि